सत्यमेव जयते

AMENDED CERTIFICATE OF REGISTRATION
UNDER SOCIETIES REGISTRATION ACT XXI OF 1860

Registration No.S-17781/1987 (Date of Registration 17-06-1987)

I hereby certify that "In pursuance of Section 12 and 12 A, the name/address of the society has been changed from

" AKHIL BHARTIYA TAILIK VAISHYA MAHASABHA "

To

" AKHIL BHARTIYA TAILIK SAHU MAHASABHA "

Located at : A-29, Dayanand Colony, Lajpat Nagar-IV, New Delhi-110024.

w.e.f. 20-05-2015 under the SOCITIES REGISTRATION ACT OF 1860.

Given under my hand at Delhi on this 20 Day of May Two Thousand Fifteen.

AMENDED FEE OF RS. 01/- received.

Seal
Registrar of Societies
Delhi

20/05/2015

REGISTRAR OF SOCIETIES
GOVT OF NCT OF
DELHI

Amended as 20/05/2015

Registrar of Society

अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा का संशोधित संविधान का स्मृति पत्र

1. **संस्था का नाम–** इस संस्था का नाम **अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा** होगा।
2. **संस्था का कार्यालय–** संस्था का केन्द्रिय पंजिकृत कार्यालय महासभा भवन, ए–29 दयानंद कालोनी, लाजपत नगर, नई दिल्ली–110024 में होगा। इसके साथ ही अध्यक्ष एवं महासचिव के आवास पर भी कार्यालय होगा। महासभा से तात्पर्य अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा से होगा।
3. **कार्यक्षेत्र–** महासभा का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत होगा।

उद्देश्य–

1. स्वजातीय लोगों में शिक्षा–विज्ञान का प्रचार एवं प्रसार तथा उसके निर्वाह का उपाय करना।
2. तैलिक स्वाजातीय शाखाओं तथा उपशाखाओं के भेदभाव को मिटाकर एकता तथा संगठन के सूत्र में बांधना। अंतर्प्रांतीय तथा अंतर्शाखा विभागों का प्रचलन करना।
3. स्वजातीय लोगों की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, नैतिक, शारीरिक शैक्षणिक उन्नति के लिए प्रयास करना।
4. स्वजातीय लोगों में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास का उन्मूलन करना।
5. स्वजातीय महिला वर्ग में जागृति उत्पन्न करना। नारी शिक्षा का प्रसार करना।
6. स्वजातीय लोगों को विभिन्न उद्योग धंधों के प्रति प्रेरित करना तथा प्रशिक्षण देना।
7. भारतीय संविधान सतत नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति लोगों का जागृत करना। सामाजिक, जातिगत एवं आर्थिक असमानता के कारण ऊंच–नीच को दूर करना।
8. देश के भाषा एवं प्रांत के आधार पर संक्रीणता की भावना को समाप्त करना।
9. स्वजातीय में परस्पर स्नेह तथा सहयोग की भावना उत्पन्न करना।
10. भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से चल रही स्वजातीय संस्थाओं को महासभा से संबंध करना एवं एक सूत्र में बांधना।
11. स्वजातीय संस्थओं, विद्यालयों, धर्मशालाओं, मंदिरों एवं अन्य संपत्तियों का संरक्षण करना।
12. देश में सामाजिक एकता एवं धार्मिक सहिष्णुता की भावना का प्रसार करना।
13. समाज में मानवीय एवं सामाजिक नैतिक मूल्यों के ह्रास को रोकना तथा स्वस्थ समाज की स्थापना में सहयोग करना।
14. समाज में जाति धर्म, लिंग, व्यवसाय के आधार पर असमानता की भावना को समाप्त करने का प्रयास करना।

REGISTRAR OF SOCIETIES GOVT. OF DELHI

Jayedatta Kshirsagar
President
Akhil Bhartiya Tailik
Sahu Mahasabha

जयदत्त क्षीरसागर
(अध्यक्ष)

Dr. PRAKASH SETH
General Secretary
Akhil Bhartiya Tailik
Sahu Mahasabha

K.R. Hingenker
Treasurer
Akhil Bhartiya Tailik
Sahu Mahasabha

Dr. PRAKASH SETH
General Secretary
Akhil Bhartiya Tailik
Sahu Mahasabha

डॉ. प्रकाश सेठ
(महासचिव)

Amended as on Registrar of Societies

अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा का संशोधित संविधान

1. **संस्था का नाम–** इस संस्था का नाम **अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा** होगा।
2. **संस्था का कार्यालय–** संस्था का केन्द्रिय पंजिकृत कार्यालय महासभा भवन, ए–29 दयानंद कालोनी, लाजपत नगर, नई दिल्ली–110024 में होगा। इसके साथ ही अध्यक्ष एवं महासचिव के आवास पर भी कार्यालय होगा। महासभा से तात्पर्य अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा से होगा।
3. **कार्यक्षेत्र–** महासभा का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत होगा।

उद्देश्य–

1. स्वजातीय लोगों में शिक्षा–विज्ञान का प्रचार एवं प्रसार तथा उसके निर्वाह का उपाय करना।
2. तैलिक स्वाजातीय शाखाओं तथा उपशाखाओं के भेदभाव को मिटाकर एकता तथा संगठन के सूत्र में बांधना। अंतर्प्रांतीय तथा अंतर्शाखा विभागों का प्रचलन करना।
3. स्वजातीय लोगों की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, नैतिक, शारीरिक शैक्षणिक उन्नति के लिए प्रयास करना।
4. स्वजातीय लोगों में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास का उन्मूलन करना।
5. स्वजातीय महिला वर्ग में जागृति उत्पन्न करना। नारी शिक्षा का प्रसार करना।
6. स्वजातीय लोगों को विभिन्न उद्योग धंधों के प्रति प्रेरित करना तथा प्रशिक्षण देना।
7. भारतीय संविधान सतत नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति लोगों को जागृत करना। सामाजिक, जातिगत एवं आर्थिक असमानता के कारण ऊंच–नीच को दूर करना।
8. देश के भाषा एवं प्रांत के आधार पर संक्रीणता की भावना को समाप्त करना।
9. स्वजातीय में परस्पर स्नेह तथा सहयोग की भावना उत्पन्न करना।
10. भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से चल रही स्वजातीय संस्थाओं को महासभा से संबंध करना एवं एक सूत्र में बांधना।
11. स्वजातीय संस्थओं, विद्यालयों, धर्मशालाओं, मंदिरों एवं अन्य संपत्तियों का संरक्षण करना।
12. देश में सामाजिक एकता एवं धार्मिक सहिष्णुता की भावना का प्रसार करना।
13. समाज में मानवीय एवं सामाजिक नैतिक मूल्यों के ह्रास को रोकना तथा स्वस्थ समाज की स्थापना में सहयोग करना।
14. समाज में जाति धर्म, लिंग, व्यवसाय के आधार पर असमानता की भावना को समाप्त करने का प्रयास करना।

4.1 **(क) सदस्यता–** यैसे सदस्यों की वार्षिक सदस्यता शुल्क रूपये 51/– होगा। अन्य पूर्ववत रहेगा।

(ख) संरक्षक– जो सजातीय व्यक्ति महासभा को कम से कम एक मुश्त रूपये 25000/– (पच्चीस हजार) देंगे वे महासभा के संरक्षक सदस्य होंगे।

(ग) आजीवन सदस्य– जो सजातीय व्यक्ति महासभा को 1100/– रूपये (ग्यारह सौ रूपये) एक मुश्त देंगे वे महासभा के आजीवन सदस्य होंगे (नोट– महासभा के पूर्व संरक्षक एवं आजीवन सदस्य यथावत रहेंगे)

(घ) सक्रिय सदस्य– विशेष वार्षिक सदस्य हेतु जो व्यक्ति महासभा को 251/– रूपये वार्षिक सदस्यता शुल्क देंगे।

4.2 **सदस्यता की समाप्ति–** निम्नलिखित किसी भी आधार पर महासभा की सदस्यता समाप्त मानी जावेगी।

1. जब सदस्य की मृत्यु हो जाय।
2. जब सदस्य स्वयं ही त्याग–पत्र दे दे।
3. जब सदस्य निर्धारित समय पर चंदा न जमा करे।
4. जब कोई सदस्य अनुचित कार्य/व्यवहार करे जो प्रबंध कार्यकारिणी (कार्यकारिणी समिति) के मत में न हो।

5. **सामान्य सभा–** महासभा के सभी साधारण सदस्य, संरक्षक सदस्य, आजीवन सदस्य, प्रबंध समिति एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, महासभा की सामान्य सभा के सदस्य होंगे।

Jayantilal Kahirsagar
President
Akhil Bhartiya Tailik
Sahu Mahasabha

K.R. Hingenker
Treasurer
Akhil Bhartiya Tailik
Sahu Mahasabha

Dr. PRAKASH SETH
General Secretary
Akhil Bhartiya Tailik

Amended as ... Society

5.1 सामान्य सभा के अधिकार एवं कर्तव्य–
(क) महासभा के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रबंध समिति एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को सुझाव देना और इसके क्रियान्वयन में सहयोग देना।
(ख) प्रबंध समिति के पदाधिकारियों के नामों का अनुमोदन करना।
(ग) सामान्य सभा की बैठक प्रति वर्ष में एकबार अवश्य होनी चाहिए।

5.2 सामान्य सभा के सदस्यों के अधिकार एवं विशेषाधिकार– महासभा के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बैठकों में भाग लेना और सुझाव देना, निर्वाचन/अनुमोदन में भाग लेना। तथा महासभा के नियमों एवं अनुशासन का पालन करना।

5.3 सामान्य सभा की सूचना तथा गणपूर्ति– सामान्य सभा की गणपूर्ति उसके कूल सदस्यों की एक तिहाई होगी। बैठक की सूचना बैठक की तिथि से एक माह पूर्व डाक द्वारा भेजी जावेगी परंतु विशेष आकस्मिक बैठक की सूचना कम से कम 21 दिन पूर्व भेजी जा सकती है। बैठक के दिन गणपूर्ति के अभाव में अध्यक्ष बैठक को स्थगित कर सकते हैं और पुनः 30 मिनट बाद उसी दिन बैठक आहूत कर सकते हैं जिसमें गणपूर्ति नहीं देखी जावेगी परंतु इस बैठक में कम से कम 50 सदस्यों की उपस्थिति होनी चाहिए और प्रत्येक क्षेत्र (अनुच्छेद 12 (2) के अनुसार) से कम से कम 5 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

6. प्रबंध समिति–
अध्यक्ष–1
कार्यकारी अध्यक्ष– 10 क्षेत्रवार
उपाध्यक्ष– 10 कोषाध्यक्ष I दोनों
महामंत्री–1
अतिरिक्त महामंत्री–1
संगठन मंत्री– 10
क्षेत्रवार अनुच्छेद– 15 (2) के अनुसार

REGISTRAR OF SOCIETIES GOVT. OF DELHI

6.1 प्रबंध कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का अनुमोदन (महासचिव एवं कोषाध्यक्ष को छोड़कर) राष्ट्रीय कार्यकारिणी करेंगी। प्रबंध कार्यकारिणी की अवधि निर्वाचन तिथि से 3 वर्ष होगी।

7. **राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति**– (1) महासभा के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन होगा। इस समिति की बैठक प्रायः तीन माह में एक बार होगी। इस समिति में प्रत्येक राज्य से अधिकतम 10 सदस्य होंगे जिनमें से सात सदस्यों को राज्यों की प्रांतीय सभाएं चयनित करेंगी तथा शेष तीन सदस्यों का मनोनयन महासभा के अध्यक्ष द्वारा होगा। समिति में महिलाओं एवं ग्रामीण क्षेत्रों के समुचित प्रतिनिधित्व का ध्यान रखना जरूरी होगा। महासभा के संरक्षक सदस्य एवं प्रबंध समिति के पदाधिकारीगण भी इसके सदस्य होंगे। आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष से अनुमति लेकर महामंत्री विशेष आकस्मिक बैठकें बुला सकते हैं। गणपूर्ति ना होने पर 30 मिनट बाद बैठक की जा सकेगी परंतु इसमें कम से कम 10 सदस्यों का होना और प्रत्येक कार्यकारी अध्यक्ष छः से एक सदस्य रहना आवश्यक होगा। विशेष आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति महासभा का विशेष अधिवेशन आमंत्रित कर सकती है। समिति किसी विशेष कार्य के लिए अपने सदस्यों तथा विशेष गुण रखने वाले अन्य स्वजातीय लोगों को मिलाकर उपसमिति नियुक्त कर सकती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना महामंत्री सदस्यों के पास कम से कम 21 दिन पूर्व भेजेंगे।
(2) अध्यक्ष एवं महामंत्री अन्य किसी भी सदस्य को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्यकारिणी समिति की बैठक में बुला सकते हैं, किंतु यैसे आमंत्रित सदस्यों को मत देने का अधिकारी नहीं होगा।
(3) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का कार्य महासभा के उद्देश्यों व लक्ष्यों की पूर्ति एवं निर्वाह करना, पदाधिकारियों का अनुमोदन करना, आय–व्यय विवरण को स्वीकृत करना तथा महासभा के अन्य निर्णयों को कार्यरूप में परिणित करना है।

Jaijeetta Kshirsagar
President
Akhil Bhartiya Tailik
Sahu Mahasabha

K.R. Hingenker
Treasurer
Akhil Bhartiya Tailik
Sahu Mahasabha

Dr. PRAKASH SETH
General Secretary
Akhil Bhartiya Tailik

Amended as on.....

(4) अध्यक्ष को महासभा के कार्य से आने जाने पर मार्ग व्यय महासभा के फंड से धन की उपलब्द्धता होने पर दिया जा सकता है। कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री एवं अन्य मंत्रियों को अध्यक्ष की पूर्व अनुमति पर महासभा के कार्य से आने जाने के लिए मार्ग व्यय आदि महासभा के कोष से दिया जा सकता है परंतु किसी को भी बस अथवा रेल साधारण शयन श्रेणी से अधिक भाड़ा देय नहीं होगा।

(5) किसी पदाधिकारी का स्थान आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाने पर समिति के बहुमत के आधार पर उसकी पूर्ति करने का अधिकार होगा।

(6) यदि किसी समय कोई यैसी स्थिति उत्पन्न हो जाय जिसका निर्वाह नियमावली के किसी भी नियम से न होता हो तो उस अवस्था में प्रबंध समिति को उचित निर्णय लेने के लिए विशेष अधिकार होगा परंतु उसके बाद उस निर्णय का अनुमोदन राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति से तीन माह के अंदर लेना होगा।

7.1 **प्रबंध समिति के पदाधिकारियों का चयन–** प्रबंध समिति के पदाधिकारियों (महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष को छोड़कर) उनका अनुमोदन राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति बहुमत के आधार पर करेगी तथा इसका अनुमोदन सामान्य सभा द्वारा तीन माह के भीतर प्राप्त किया जायेगा।

7.2 **कार्यकाल–** प्रबंध समिति का कार्यकाल निर्वाचन के अनुमोदन के तिथि से तीन वर्ष होगा लेकिन विशेष परिस्थिति में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा एकबार अधिकतम छः महिनों तक बढ़ाया जा सकता है।

8. **महासभा संगठन में निम्नलिखित संस्थाएं होगी–**

1. अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा की सामान्य सभा।
2. अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति।
3. महासभा की प्रबंध समिति।
4. महासभा की प्रांतीय सभाएं।
5. महासभा का युवा संगठन।
6. महासभा का महिला संगठन।
7. स्नेही समाज संगठन।

8.1 युवक महिला एवं स्नेही समाज संगठन पर सामान्य नियंत्रण राष्ट्रीय कार्य समिति का रहेगा, परंतु दिन प्रतिदिन के अपने कार्यों हेतु वे स्वतंत्र होंगे। महासभा के किसी नियम का उलंघन नहीं करते हुए अनुशंगिक संस्थाएं अर्थात महिला, युवक एवं स्नेही समाज संस्थाएं अपने व्यवहार एवं कार्य संचालन हेतु पृथक नियम बना सकते हैं। इन नियमों की स्वीकृति प्रबंध समिति से लेनी होगी।

8.2 **(क) महासभा के अधिवेशन–** महासभा का अधिवेशन उन तिथियों तथा स्थानों पर हुआ करेगा जिसकी स्वीकृति पूर्व अधिवेशन अथवा राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा मिल गयी हो।

(ख) आवश्यकता होने पर महासभा का विशेष अधिवेशन कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृति मिलने पर हो सकता है।

9. **जिला तथा प्रांतीय सभाएं–** एक जिले के इलाके में जितनी स्थानीय सभाएं होंगी व मिलकर एक जिला सभा का संगठन करेंगी। तथा एक प्रांत के इलाके में जितनी जिला सभाएं होगी वे मिलकर एक प्रांतीय सभा का गठन कर सकती हैं। महासभा से संबंध होने के लिए प्रांतीय सभा 500/– (पांच सौ रूपये) संबद्धता शुल्क प्रति तीन वर्ष में प्रदेश के चुनाव उपरांत देगी। स्थानीय जिला तथा प्रांतीय सभा का कर्तव्य होगा कि वे महासभा के उद्देश्यों, नियमों, निर्णयों तथा निर्देशों का पालन और प्रसार करेगी। वे सभी सभाएं महासभा की अभिन्न अंग होंगी और महासभा के हित के विरूद्ध कार्य नहीं करेंगी।

10. स्थानीय जिला तथा प्रांतीय सभा का महासभा से संबंध– महासभा से संबंध सभाएं महासभा के नियमों का उल्लंघन न करते हुए अपने व्यवहार के लिए अलग नियम बना सकती हैं। महासभा के महामंत्री के पास उक्त नियमावली की दो प्रतियां भेजकर महासभा द्वारा संबंद्धता प्रमाण–पत्र प्राप्त करेगी।

Jayantilal Kahirsegar
President
Akhil Bhartiya Tailik
Sahu Mahasabha

K.R. Hingenker
Treasurer
Akhil Bhartiya Tailik
Sahu Mahasabha

Dr. PRAKASH SETH
General Secretary
Akhil Bhartiya Tailik

Amended as on ... Society

11. अधिवेशन हेतु स्वागत समिति–

(क) उस स्थान में जहां महासभा अधिवेशन होना निश्चित हुआ है उसकी राज्य इकाई के संरक्षण में एक स्वागत समिति अधिवेशन की निश्चित तिथि से कम से कम तीन माह पूर्व बनाई जायेगी जिसका कर्तव्य महासभा के अधिवेशन तथा प्रतिनिधियों के सत्कार का प्रबंध करना होगा।

(ख) स्वागत समिति के सदस्य उसी राज्य के होगे जिस राज्य में महासभा का अधिवेशन होगा। समिति के सदस्यों में से ही समिति के पदाधिकारी चयनित होंगे।

(ग) स्वागत समिति को प्रतिनिधियों से फीस की रकम निश्चित करने और अधिवेशन हेतु विशेष चंदा एकत्रित करने का अधिकार होगा।

(घ) अधिवेशन के समाप्त होने के पश्चात दो माह के अंदर स्वागत समिति अधिवेशन की रिपोर्ट उसके आय–व्यय के विवरण आदि प्रकाशित करायेगी और उसकी एक–एक प्रति महासभा के अध्यक्ष और महामंत्री तथा केन्द्रीय कार्यालय के पास भेजेगी।

(च) अधिवेशन समाप्त होने पर जो धन खर्च करने के उपरांत और शेष राशि रहेगी उसमें से 40 प्रतिशत स्थानीय सभा, 35 प्रतिशत प्रांतीय सभा का और 25 प्रतिशत महासभा को। अधिवेशन समाप्त होने के तीन माह के अंदर उनके कोष में जमा करायेगी।

(छ) स्वागत समिति अधिवेशन का आय–व्यय लेखा यदि अधिवेशन समाप्त होने के तीन महिने के अंदर महासभा के महामंत्री और अध्यक्ष एवं केन्द्रीय कार्यालय को नहीं भेजी तो प्रबंध समिति को अधिकार होगा कि वह जैसा उचित समझे उक्त हिसाब की जांच ओर शेष धन की वसूली के लिए कार्यवाही करे।

12. महासभा के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य–

1. **अध्यक्ष–** महासभा के वर्तमान अधिवेशन से लेकर उसके अगले अधिवेशन के पूर्व तक महासभा के अध्यक्ष रहेंगे। महासभा के प्रबंध समिति एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सभापति होंगे। किसी विषय में मतों की संख्या समान होने पर वह अपना निर्णायक मत देंगे। महासभा के कार्यों के संचालन का उत्तरदायित्व अध्यक्ष पर होगा जिसके लिए वह समय–समय पर आवश्यक निर्देश महामंत्री तथा अन्य पदाधिकारियों को देंगे।
2. **कार्यकारी अध्यक्ष–** महासभा के कार्य संचालन में अध्यक्ष को अपने कार्य क्षेत्र में यथोचित मदद करना ही सबका प्रमुख कार्य होगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा मनोनीत कार्यकारी अध्यक्ष और यैसा न होने पर कार्यकारी अध्यक्षों में वरिष्ठ कार्यकारी अध्यक्ष महासभा का कार्य संचालन करेंगे। कार्यकारी अध्यक्ष महासभा के अध्यक्ष के निर्देशानुसार अपना कार्य करेंगे तथा सहयोग करेंगे।
3. उपाध्यक्ष– राष्ट्रीय कार्यकारिणी कार्य समिति के दस उपाध्यक्ष अपने कार्य क्षेत्र में संबंधित कार्यकारी अध्यक्षों/अध्यक्षों के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे।
4. **महामंत्री–** महासभा के कार्यो की देखरेख करना, महासभा की ओर से पत्र व्यवहार करना, महासभा संबंधित सभी कागज पत्रों का सम्भाल कर रखना, बैठकों की कार्यवाही रिपोर्ट तैयार करना। महासभा के सभी कार्यकर्ताओं को कार्यरत रखना, महासभा के आय–व्यय का हिसाब कोषाध्यक्ष से समय–समय पर लेना एवं महासभा के प्रस्तावों को कार्यरूप में परिणित करना महामंत्री का कार्य होगा। महामंत्री महासभा के कार्य हेतु 500 रूपये तक किसी एक समय में खर्च कर सकते हैं अधिक की आवश्यकता पर 1000 रूपये तक अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति लेकर खर्च कर सकते हैं। रूपय1000 से अधिक खर्च के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।
5. **संगठन मंत्री–** अपने–अपने कार्यक्षेत्र में महासभा के विभिन्न शाखाओं का संगठन एवं एकीकरण करना और महासभा के उद्देश्यों, कार्यक्रमो, योजनाओं आदि का प्रचार–प्रसार करना संगठन मंत्री के मुख्य कार्य होंगे। वह अध्यक्ष, महामंत्री और कार्यकारी अध्यक्षों का महासभा के कार्यों में सहयोग करेंगे।
6. **कोषाध्यक्ष–** महासभा के धन का राष्ट्रीयकारिणी समिति द्वारा निर्धारित बैंक में जमा करना और अध्यक्ष या महामंत्री के साथ संयुक्त रूप से बैंक खाते का संचालन करन, आय–व्यय विवरण तैयार करना और अध्यक्ष/महामंत्री को देना, कैशबुक रख–रखाव करना, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष लेखा–जोखा प्रस्तुत करना कोषाध्यक्ष का कार्य होगा।

Jayvantta Kshirsagar
President
Akhil Bhartiya Tailik Sahu Mahasabha

K.R. Hingenker
Treasurer

Dr. PRAKASH SETH

Amended as on Society

7. **लेखा परीक्षक–** समय–समय पर आय–व्यय लेखा एवं कैशबुक का निरीक्षण करना तथा वर्ष में एकबार सम परीक्षा रिपोर्ट अध्यक्ष व महामंत्री को देना, जिसे कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगें

13. विशेष नियम– महासभा के सभी पदाधिकारी तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्यगण उस समय तक पदासीन रहेंगे जबतक उनके स्थान पर नवनिर्वाचन नहीं हो जाता है।

14. **महासभा के प्रतिनिधि–** 14 क, ख पूर्ववत ग में प्रतिनिधि शुल्क रूपये 25/– लिए जायेंगे।

15. **महासभा के पदाधिकारी एवं निर्वाचन–** महासभा के कार्य संचालन हेतु निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे।

K.R. Hingenker Treasurer Akhil Bhartiya Tailik Sabha

1. **अध्यक्ष–** अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु कम से कम ~~तीन~~ माह पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी एक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करेगी। निर्वाचन अधिकारी महामंत्री के सहयोग से संरक्षकों, आजीवन सदस्यों, प्रबंध समिति व राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की एक संयुक्त सूची तैयार करेंगे। इस सूची की एक प्रति केन्द्रीय कार्यालय में प्रकाशित की जायेगी। इस सूची के बारे में कोई आपत्ति सूची के प्रकाशन के तिथि से एक सप्ताह के अंदर ही अनुमान्य होगी। जिसकी सुनवाई का अधिकारी निर्वाचन अधिकारी को होगा। जो आपत्ति प्रति निर्धारित अंतिम तिथि से एक सप्ताह के अंदर निस्तारण करेगा। मतदाता सूची के एक प्रति रूपये 250/– के भुगतान पर निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी। इस मतदाता सूची के अनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा निर्धारित स्थान पर चुनाव होंगे।

2. **कार्यकारी अध्यक्ष–** राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति महासभा के 10 कार्यकारी अध्यक्षों को चयन करेगी। भारत को इस उद्देश्य से दस क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।

 1. साउथ जोन– तमिलनाडु, केरल, पाण्डिचेरी
 2. साउथ सेन्ट्रल जोन– आंध्र प्रदेश, कर्नाटक
 3. वेस्ट जोन– राजस्थान, गुजरात
 4. वेस्ट साउथ जोन– महाराष्ट्र, गोवा
 5. नार्थ जोन– पंजाब, हरियाण, कश्मीर
 6. नार्थ ईस्ट जोन– आसाम, सिक्किम, अरूणांचल, मेघालय
 7. नार्थ वेस्ट जोन– उत्तर प्रदेश, उतरांचल
 8. ईस्ट सेन्ट्रल जोन– बिहार, झारखण्ड
 9. ईस्ट जोन– वेस्ट बंगाल, उड़िसा
 10. सेन्ट्रल जोन– मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली

 प्रत्येक क्षेत्र में एक कार्यकारी अध्यक्ष होगा।

3. **उपाध्यक्ष–** राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति 10 उपाध्यक्ष का चयन करेगी। इसके अलावा प्रत्येक राज्य की सभा के अध्यक्ष महासभा के पदेन उपाध्यक्ष होंगे। वे राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी रहेंगे।
4. **महामंत्री–** महासभा के अध्यक्ष ही महामंत्री को मनोनीत करेंगे।
5. **मंत्री–** प्रांतीय सभाओं के महामंत्री, महासभा के पदेन मंत्री होंगे। 10 जोन के लिए 10 संयुक्त सचिव होंगे।
6. **संगठन मंत्री–** कार्यकारी अध्यक्षों की भांति प्रत्येक क्षेत्र से एक संगठन मंत्री होगा। कुल 10 संगठन मंत्रियों का चयन होगा।

 (च) संगठन मंत्री– अपने–अपने कार्यक्षेत्र में महासभा की विभिन्न शाखाओं का संगठन एक एकीकरण करना और महासभा के उद्देश्यों, कार्यक्रमो, योजनाओं आदि का प्रचार–प्रसार करना,

Jayantilal Kshirsagar President Akhil Bhartiya Tailik Sahu Mahasabha

K.R. Hingenker Treasurer Akhil Bhartiya Tailik

Dr. PRAKASH SETH General Secretary

Amended as on (Society)

संगठन मंत्री के मुख्य कार्य होंगे। वह अध्यक्ष, महामंत्री और कार्यकारी अध्यक्षों को महासभा के कार्यों में सहयोग करेंगे।

(छ) कोषाध्यक्ष– महासभा के धन का राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित बैंक में जमा करना और अध्यक्ष या महामंत्री के संयुक्त रूप से बैंक खाते का संचालन करना। आय–व्यय विवरण को तैयार करना और अध्यक्ष, महामंत्री को देना। कैशबुक का रख–रखाव करना और राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष लेखा–जोखा प्रस्तुत करना, कोषाध्यक्ष का कार्य होगा।

टिप्पणी– कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का कम से कम 501/– रूपये वार्षिक शुल्क देना आवश्यक होगा। टिप्पणी 2, 3, 4, पूर्ववत टिप्पणी के अनुसार।

5 (अ) कार्यालय मंत्री– अध्यक्ष, महामंत्री के परामर्श से कार्यालय के संचालन हेतु एक कार्यालय मंत्री के नियुक्ति वैतनिक अथवा अवैतनिक आधार पर कर सकते हैं।

16. महासभा का वित्तीय वर्ष– महासभा का वित्तीय वर्ष प्रत्येक वर्ष एक अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होगा।

17. शिक्षा के प्रचारार्थ– महासभा का कम से कम रूपये एक लाख का स्थायी कोष होगा। यह फंड किसी बैंक या बैंको में महासभा के नाम से जमा होगा। इस फंड का संचालन बैंक में अध्यक्ष, महामंत्री व कोषाध्यक्ष तीनों के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। इसके ब्याज से स्वजातीय निर्धन मेधावी छात्रा,छात्राओं को सहायता व छात्रवृत्ति दी जायेगी। इसके मूलधन को किसी भी दशा में खर्च नहीं किया जायेगां

18. महासभा अपने स्वजातीय लोगों में शिक्षा प्रसार एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए प्रशिक्षण हेतु विद्यालयों, महाविद्यालयों या किसी संस्था की स्थापना कर सकती है। इसके लिए अलग से ट्रस्ट या समिति बनायी जा सकती है।

19. स्मृति पत्र में अंकित उद्देश्यों तथा नियमों में परिवर्तन/संशोधन करने का अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को होगा परंतु उस परिवर्तन/संशोधन की पुष्टि सामान्य सभा द्वारा होना आवश्यक है। प्रतिबंध यह रहेगा कि शिक्षा स्थायी फंड का समाप्त अथवा कम नहीं किया जा सकता है।

20. न्यायालय संबंधी मुकदमों में जिसमें महासभा पक्षकार हो पैरवी महामंत्री द्वारा की जावेगी। यदि आवश्यकता प्रतीत होती है तो अन्य किसी को भी प्रबंध समिति नियुक्त कर सकती है। महामंत्री अथवा अन्य पैरवी कर्ता का यह दायित्व होगी कि वह समय–समय पर अध्यक्ष अथवा राष्ट्रीय कार्यकारी समिति को वादों की स्थिति का ब्यौरा देते रहेंगे। किसी मुकदमे को समाप्त करने संबंधी प्रार्थन प्रबंध समिति की पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जा सकती है।

21. महासभा की समस्त चल एवं अचल संपत्ति की पूर्ण स्वामित्व महासभा में निहित होगा। किसी भी सपत्ति के क्रय,बिक्रय के रेहन करने या उसके संबंध में कोई अनुबंध बिना राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के कुल सदस्यों की एक तिहाई बहुमत से निर्णय नहीं लिया जा सकता है। किसी संपत्ति का बिक्रय करने के निर्णय को अनुमोदन सामान्य सभा द्वारा प्राप्त करना जरूरी होगा।

22. **पत्रिका प्रकाशन–** राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति महासभा के उद्देश्यों के प्रचार–प्रसार एवं पूर्ति हेतु महासभा के कार्यक्रमों एवं बैठकों का सुचारू रूप से प्रसारित करने तथा क्रियान्वयन करने के लिए महासभा समाचार पत्रिका प्रकाशित करेगी। इसके अतिरिक्त स्वजातीय महापुरूषों की जीवनी, इतिहास, समाज सुधार संबंधी एवं प्रेरणादायिक साहित्य का प्रकाशन करेगी। महासभा समाचार पत्रिका का शुल्क प्रबंध समिति निश्चित करेगी।

23. राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति महासभा के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यालय वाचनालय, पुस्तकालय आवास व्यवस्था, अतिथि गृह, शिक्षण एवं प्रशिक्षण आदि के लिए महासभा भवन या किसी महापुरूष के नाम पर भवन का निर्माण या क्रय कर सकती है।

24. आय के श्रोतों एवं धनराशि का सदुपयोग– महासभा के उद्देश्यों की पूर्ति एवं तत्संबंधित कार्यों में किया जायेगा। इस प्रयोजन के लिए अतिरिक्त दान लिया जा सकता है। सभी स्वजातीय बंधुओं से महासभा कोष में यथाशक्ति आर्थिक सहयोग की अपेक्षा रहेगी। महासभा हेतु जो भी धन लिया जायेगा उसको विधिवत रसीद जारी की जायेगी और कोष में जमा किया जायेगा।

Jayantilal Kshirsagar
President
Akhil Bhartiya Tailik
Sahu Mahasabha

K.R. Hingenkar
Treasurer

Dr. PRAKASH SETH
General Secretary

Amended as on ...

Society

25. संस्था की समाप्ति– स्मृति पत्र के उद्देश्यों से स्पष्ट है कि उसका विघटन कभी नहीं होगा। उद्देश्यों की पूर्ति के पश्चात यदि इसकी आवश्कता नहीं समझी गयी तो इसका विघटन समिति पंजीयन नियम 1860 की धारा 13 व 14 के अनुसार किया जायेगा।

26. संस्था के स्मृति पत्र में संशोधन समिति पंजीयन कानून 1860 की धारा 12 व 12 ए के अनुसार ही किया जायेगा।

27. प्रतिवर्ष रजिस्ट्रार सोसाइटी के कार्यालय को संस्था के पदाधिकारियों की सूची पंजीयन कानून 1860 की धारा 4 के अनुसार भेजी जावेगी। यह उत्तरदायित्व अध्यक्ष एवं महामंत्री का होगा।

28. समिति पंजीयन कानून 1860 के समस्त प्रावधान इस संस्था पन लागू होंगे।

प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्था के नियमों तथा विनियमों की सतप्रतिलिपि है।

जयदत्त क्षीरसागर
(अध्यक्ष)

Jayotta Kshirsegar
President
Akhil Bhartiya Tailik
Sahu Mahasabha

K.R. Hingenker
Treasurer
Akhil Bhartiya Tailik
Sahu Mahasabha

Dr. PRAKASH SETH
General Secretary
Akhil Bharttya Tailik
Sahu Mahasabha

डॉ. प्रकाश सेठ
(महासचिव)

E-Sambidhan-Sansodhan-Sambidhan

Amended as on.....

Society

2010-2011

रजिस्ट्रार फर्मों एवं सोसायटी
रजिस्ट्रीकरण सं. S-17781
नाम Amrndul

REGISTRAR OF SOCIETIES
GOVT. OF DELHI

2010-2011

रजिस्ट्रार
कार्यालय के प्रतीक चिन्ह वाली
सोसायटी (एस.ओ.) के अनुरूपक चिन्ह
पेश किया

उपरिति पंजिका